क्रम-संख्या—152

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग—1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021**

**भाद्रपद 2, 1943 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग—1**

———————

संख्या 796 / 79-वि-1—21-1-क-21-21

लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

——————

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 जिससे राज्य कर अनुभाग—6 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, 1952, जैसा कि यह असंगत हो चुका है, का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1952 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, 1952 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

व्यावृत्ति

3—तथापि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, 1952 का निरसन किये जाने से—

(क) ऐसी किसी अन्य अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या उससे निर्दिष्ट हो;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कार्य या बात के प्रमाण की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) इस बात के होते हुए किसी सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे।

————

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम, 1952 उत्तर प्रदेश में स्थित सिनेमाघरों में धूम्रपान निषिद्ध करने हेतु अधिनियमित किया गया है। यह अवलोकित किया गया है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 और उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम 20 में मल्टीप्लेक्सों और सिनेमाघरों में धूम्रपान निषिद्ध करने के पर्याप्त उपबन्ध है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान समय में पूर्वोक्त अधिनियम, 1952 की कोई प्रासंगिकता एवं उपयोगिकता नहीं रह गयी है। अतएव उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम, 1952 को निरसित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।